



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 31, 2013/माघ 11, 1934

No. 286]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 2013/MAGHA 11, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2013

(आय-कर)

का.आ. 308(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 13ख के खंड (ख) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 17ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"17गक. निर्वाचन न्यासों के कृत्य

(1) धारा 13ख में निर्दिष्ट किसी निर्वाचन न्यास के कृत्य इस नियम में उपबंधित अनुसार होंगे ।

(2) निर्वाचन न्यास निम्नलिखित से स्वैच्छिक अभिदाय प्राप्त कर सकेगा -

क) किसी व्यक्ति से जो भारत का नागरिक है ;

ख) किसी कंपनी से जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है ; और

ग) भारत में निवासी किसी फर्म या अविभक्त हिन्दू कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय से।

(3) न्यास द्वारा अभिदाय प्राप्त करने पर तुरंत निम्नलिखित को उपदर्शित करते हुए एक पावती जारी की जाएगी :-

क) अभिदायकर्ता का नाम और पता ;

ख) अभिदायकर्ता का स्थायी लेखा संख्यांक या किसी नागरिक की दशा में जो निवासी नहीं है का पासपोर्ट संख्यांक ;

ग) नाम और बैंक की शाखा तथा ऐसे अभिदाय की पावती की तारीख सहित अभिदाय की रकम और ढंग;

घ) निर्वाचन न्यास का नाम;

ङ) निर्वाचन न्यास का स्थायी लेखा संख्यांक ;

च) विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तारीख और संख्या ; और

छ) पावती जारी करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम ।

(4) निर्वाचन न्यास निम्नलिखित से अभिदाय स्वीकार नहीं करेगा -

क) किसी व्यक्ति से जो भारत का नागरिक नहीं है या किसी विदेशी निकाय से चाहे निगमित हो या नहीं ; और

ख) किसी अन्य निर्वाचन न्यास से जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन किसी कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है और जिसे निर्वाचन न्यास स्कीम, 2013 के अधीन एक निर्वाचन न्यास के रूप में अनुमोदित किया गया है ।

(5) निर्वाचन न्यास केवल किसी बैंक में खाता देय चेक या खाता देय बैंक ड्राफ्ट या उसके बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिकी अंतरण के माध्यम से अभिदाय स्वीकार करेगा और रोकड़ में किसी अभिदाय को स्वीकार नहीं करेगा ।

(6) निर्वाचन न्यास, अभिदायकर्ता जो नागरिक है के स्थायी खाता संख्यांक और भारत के नागरिक की दशा में जो निवासी नहीं है के पासपोर्ट संख्यांक के बिना कोई अभिदाय स्वीकार नहीं करेगा ।

(7) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई राजनैतिक दल पात्र राजनैतिक दल होगा और कोई निर्वाचन न्यास केवल पात्र राजनैतिक दलों को ही निधियों का वितरण करेगा ।

(8) (i) निर्वाचन न्यास अपने कार्यों का प्रबंधन करने के प्रयोजनों के लिए निगमन के पहले वर्ष में पांच लाख रुपए और पश्चातवर्ती वर्षों में तीन लाख रुपए की समग्र सीमा के अधीन रहते हुए किसी वर्ष में प्राप्त कुल अभिदायों के पांच प्रतिशत तक खर्च कर सकेगा ;

(ii) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से अधिभार के साथ, यदि कोई हो, किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल अभिदाय जो अपने कार्यों के प्रबंधन के लिए खर्च की गई रकम से कम करके वित्तीय वर्ष के लिए वितरणीय अभिदाय होगा ;

(iii) किसी निर्वाचन न्यास से मद (ii) में निर्दिष्ट किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त वितरणीय अभिदायों को वितरित करने की किसी पात्र राजनैतिक दल को उक्त वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पहले इस शर्त के अधीन रहते हुए किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से अग्रणीत अधिभार, यदि कोई हो, के साथ वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अभिदायों के कम से कम पचानवे प्रतिशत को वितरित करने की अपेक्षा होगी ।

(9) न्यास पात्र राजनैतिक दलों से राजनैतिक दल का नाम, उसका स्थायी लेखा संख्यांक, रजिस्ट्रीकरण संख्यांक, न्यास से प्राप्त निधि की रकम, पावती की तारीख और पावती पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम इंगित करते हुए पावती अभिप्राप्त करेगा ।

(10) निर्वाचन न्यास सदस्यों या अभिदायकर्ताओं या निम्नलिखित में से किन्हीं व्यक्तियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फायदे के लिए किन्हीं अभिदायों का उपयोजन नहीं करेगा, अर्थात् :-

क) निर्वाचन न्यास के सदस्य (इसके अंतर्गत कार्यकारी समिति, निदेशक बोर्ड की शासी समिति के सदस्य हैं) ;

- ख) ऐसे सदस्यों का कोई नातेदार ;
- ग) ऐसे सदस्य या अभिदायकर्ता के हिन्दू अविभक्त कुटुंब होने की दशा में उस हिन्दू अविभक्त कुटुंब का कोई सदस्य ;
- घ) कोई व्यक्ति जिसने उस न्यास को अभिदाय किया है ;
- ङ) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति ; और
- च) कोई समुत्थान जिसमें खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) में निर्दिष्ट व्यक्ति का सारवान हित है ।
- (11) न(i) निर्वाचन न्यास अपनी पावतियों, वितरणों और व्ययों के संबंध में ऐसी लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को रखेगा जो अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में उसकी कुल आय की संगणना करने में समर्थ हो सकें ;
- (ii) निर्वाचन न्यास ऐसे व्यक्तियों की नाम, पता और स्थायी लेखा संख्यांक अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की रकम और संदाय के ढंग सहित बैंक के नाम और शाखा सहित सूची भी रखेगा जिनसे अभिदाय प्राप्त किया गया है और जिन्हें अभिदाय का वितरण किया गया है ।
- (12) प्रत्येक निर्वाचन न्यास धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकार द्वारा अपने लेखाओं की संपरीक्षा करवाएगा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट उसके उपाबंध का भाग बनने वाली विशिष्टियों के साथ प्ररूप सं. 10खग में, यथास्थिति, निर्वाचन न्यास के ऊपर अधिकारिता रखने वाले आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को धारा 139 के अधीन किसी कंपनी के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट सम्यक तारीख से पूर्व प्रस्तुत करेगा ।
- (13) प्रत्येक निर्वाचन न्यास उसकी बैठकों की कार्यवाहियों और उनमें किए गए विनिश्चयों का नियमित अभिलेख रखेगा ।
- (14) प्रत्येक निर्वाचन न्यास, यथास्थिति, आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को प्रत्येक वर्ष उपनियम (12) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ अभिदायों की सूची और राजनैतिक दलों की सूची जिन्हें उपनियम (8) में विहित रीति में राशियां वितरित की गई हैं, की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा ।
- (15) निर्वाचन न्यास स्कीम, 2013 के अधीन प्रदत्त अनुमोदन के पश्चात् श्रेयधारकों में किसी परिवर्तन से बोर्ड को ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर संसूचित किया जाएगा ।
3. प्ररूप सं. 10खख के पश्चात् परिशिष्ट 2 में निम्नलिखित प्ररूप और उसका उपाबंध अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप सं. 10खग

[नियम 17गक देखिए]

आयकर नियम, 1962 के नियम 17गक के उपनियम (12) के अधीन किसी निर्वाचन न्यास की दशा में लेखा परीक्षा रिपोर्ट

*मैंने/हमने [निर्वाचन न्यास का नाम] के तुलनपत्र की और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय

लेखा की जांच कर ली है तथा प्रमाणित करते हैं तुलनपत्र और आय और व्यय लेखा उक्त निर्वाचन न्यास द्वारा रखी गई लेखा बहियों के अनुसार है।

*मैंने/हमने वह सारी जानकारी और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिया है जो *मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है।

*मेरी/हमारी राय में ऊपर नामित निर्वाचन न्यास जिसका *मैंने/हमने भ्रमण किया है के मुख्यालय और शाखाओं द्वारा उचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जैसा कि *मेरी/हमारी लेखा बहियों की जांच से प्रतीत होता है और लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए शाखाओं से जिनका *मैंने/हमने भ्रमण नहीं किया है से पर्याप्त उचित दस्तावेजों अभिप्राप्त कर लिए हैं जो हमारी नीचे दी गई टिप्पणियों की शर्त के अधीन है :

*मेरी/हमारी राय में और *मेरी /हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और *मुझे/हमें दी गई जानकारी के अनुसार उक्त लेखे सही और न्यायसंगत दृष्टिकोण दर्शाते हैं -

(i) तुलनपत्र की दशा में ऊपर नामित निर्वाचन न्यास के कार्य जो..... पर दिए गए हैं, और

(ii) उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अधिभार या घाटे के आय और व्यय लेखे की दशा में।

विहित विशिष्टियां इससे उपाबद्ध हैं।

स्थान.....

तारीख.....

(ह/-)

लेखाकार का नाम

सदस्य सं./पता

टिप्पण :

1. *जो लागू न हो उसे काट दें।

2. + ये रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा दी जानी है।

(i) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ; या

(ii) किसी व्यक्ति द्वारा जो किसी राज्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबंधों के कारण उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के लिए किसी लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाने का पात्र है।

3. इस रिपोर्ट में जहां किसी विषय का उत्तर नकारात्मक दिया जाना है या किसी शर्त के साथ दिया जाना है रिपोर्ट में उसके कारणों को अधिकथित किया जाएगा।

प्ररूप सं. 10खग का उपाबंध

I. प्राप्त किए गए और वितरित किए गए अभिदायों के ब्यौरे

- 1) पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त किए गए अभिदायों की कुल रकम
- 2) पात्र राजनैतिक दलों को वितरित किए गए अभिदायों की कुल रकम
- 3) प्रशासनिक या प्रबंधकीय कृत्यों के उपयोग किए गए अभिदायों की रकम
- 4) अग्रणीत अधिशेष
- 5) वित्तीय वर्ष के लिए वितरणीय अभिदाय
- 6) क्या पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त अभिदायों का पात्र राजनैतिक दलों में वितरण कर दिया गया है।

स्थायी लेखा सं. के साथ राजनैतिक दल का नाम	वितरित की गई रकम	तारीख	ढंग

7) अग्रणीत अधिशेष

8) क्या सारे अभिदाय लेखा देय चेक या मांगदेय ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं ? यदि नहीं; तो उनके ब्यौरे।

व्यक्ति का नाम	स्थायी लेखा सं.	वितरित की गई रकम	तारीख	ढंग

9) क्या राजनैतिक दलों को किए गए सभी वितरणों की पावतियां प्राप्त कर ली गई हैं ?

10) क्या सभी अभिदायों की सूची रखी गई है ?

11) क्या सभी राजनैतिक दलों की सूची जिन्हें रकम वितरित की है, रखी गई है ?

II. नियम 17गक के उपनियम (10) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के फायदे के लिए आय या संपत्ति के उपयोग के लिए आवेदन :-

1. नियम 17गक के उपनियम (10) में निर्दिष्ट व्यक्तियों (जिसे इस उपाबंध में इसके पश्चात् "हितबद्ध व्यक्ति" कहा गया है) के साथ बीस हजार रुपए से अधिक के संव्यवहार के ब्यौरे।

2. क्या किसी हितबद्ध व्यक्ति को वेतन, भत्ता या अन्यथा के माध्यम से पूर्ववर्ती वर्ष में कोई संदाय किया गया है ? यदि हां, तो उसके ब्यौरे।

3. क्या न्यास द्वारा प्राप्त किए गए अभिदाय के किसी भाग को पूर्ववर्ती वर्ष में किसी हितबद्ध व्यक्ति को दिया गया या दिया जाना जारी रखा गया ?

यदि हां, तो रकम, प्रभारित ब्याज की दर और प्रतिभूति की प्रकृति, यदि कोई है, के ब्यौरे।

4. क्या निर्वाचन न्यास की कोई आय या संपत्ति को पूर्ववर्ती वर्ष में किसी हितबद्ध व्यक्ति के पक्ष में परिवर्तित किया गया ? यदि हां, तो आय की रकम या परिवर्तित संपत्ति के मूल्य के ब्यौरे के साथ उसका ब्यौरा।

449 67/13-2

III. निर्वाचन न्यास द्वारा उसके प्रशासन या कार्यों के प्रबंधन के लिए उपगत व्यय से संबंधित सूचना :-

1. क्या निर्वाचन न्यास के प्रशासनिक या प्रबंधन व्यय नियम 17गक के उपनियम (8) के अनुसार हैं ?
2. यदि हां, तो क्या अपेक्षित ब्यौरे पर्याप्त रूप से रखे गए हैं ?
3. यदि नहीं, तो निर्वाचन न्यास द्वारा कुल प्राप्त अभिदायों की तुलना में उपगत व्यय की क्या प्रतिशतता है ?

स्थान.....

तारीख.....

हस्ताक्षर

लेखाकार के

लेखाकार की सदस्यता सं.

[अधिसूचना सं. 08/2013/फा. सं. 142/20/2012-टीपीएल]

रमन चोपड़ा, निदेशक (टीपीएल-II)

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम संशोधन आय-कर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2012, अधिसूचना सं. का.आ. 2805(अ), तारीख 29-11-2012 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2013

(INCOME-TAX)

S.O. 308(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 13B read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (First Amendment) Rules, 2013.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 17C, the following shall be inserted, namely:-

"17CA. Functions of electoral trusts.

- (1) The functions of an electoral trust referred to in section 13B shall be as provided in this rule.
- (2) The electoral trust may receive voluntary contributions from -
 - a) an individual who is a citizen of India;
 - b) a company which is registered in India; and
 - c) a firm or Hindu undivided family or an Association of persons or a body of individuals, resident in India.
- (3) A receipt indicating the following shall be issued by the trust immediately on receipt of any contribution indicating the following:-
 - a) name and address of the contributor;
 - b) Permanent account number of the contributor or passport number in the case of a citizen who is not a resident;
 - c) amount and mode of contribution including name and branch of the Bank and date of receipt of such contribution;
 - d) name of the electoral trust;
 - e) Permanent account number of the electoral trust;
 - f) date and number of approval by the prescribed authority; and
 - g) Name and designation of the person issuing the receipt.
- (4) The electoral trust shall not accept contributions-
 - a) from an individual who is not a citizen of India or from any foreign entity whether incorporated or not; and
 - b) from any other electoral trust which has been registered as a company under section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and approved as an electoral trust under the Electoral Trusts Scheme, 2013.

(5) The electoral trust shall accept contributions only by way of an account payee cheque drawn on a bank or account payee bank draft or by electronic transfer to its bank account and shall not accept any contribution in cash.

(6) The electoral trust shall not accept any contribution without the permanent account number of the contributor, who is a resident and the passport number in the case of a citizen of India, who is not a resident.

(7) A political party registered under section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) shall be an eligible political party and an electoral trust shall distribute funds only to the eligible political parties.

(8) (i) The electoral trust may, for the purposes of managing its affairs, spend upto five per cent. of the total contributions received in a year subject to an aggregate limit of rupees five hundred thousand in the first year of incorporation and rupees three hundred thousand in subsequent years;

(ii) the total contributions received in any financial year alongwith the surplus from any earlier financial year, if any, as reduced by the amount spent on managing its affairs, shall be the distributable contributions for the financial year;

(iii) an electoral trust shall be required to distribute the distributable contributions received in a financial year, referred to in item (ii), to the eligible political parties before the 31st day of March of the said financial year, subject to the condition that at least ninety five per cent. of the total contributions received during the financial year along with the surplus brought forward from earlier financial year, if any, are distributed.

- (9) The trust shall obtain a receipt from the eligible political party indicating the name of the political party, its permanent account number, registration number, amount of fund received from the trust, date of the receipt and name and designation of person signing such receipt.
- (10) The electoral trust shall not utilize any contributions for the direct or indirect benefit of the members or contributors, or for any of the following persons, namely:-
- a) the members (including members of its Executive Committee, Governing Committee or Board of Directors) of the electoral trust;
 - b) any relative of such Members;
 - c) where such member or contributor is a Hindu undivided family, a member of that Hindu undivided family;
 - d) any person who has made a contribution to the trust;
 - e) any person referred in sub-section (3) of section 13 of the Act; and
 - f) any concern in which any of the persons referred to in clauses (a), (b), (c), (d) and (e) has a substantial interest.
- (11) (i) An electoral trust shall keep and maintain such books of account and other documents in respect of its receipts, distributions and expenditure as may enable the computation of its total income in accordance with the provisions of the Act;
- (ii) The electoral trust shall also maintain a list of persons from whom contributions have been received and to whom the same have been distributed, containing the name, address and permanent account number of each such person alongwith the details of the amount and mode of its payment including the name and branch of the bank.

449 CD 13-3

(12) Every electoral trust shall get its accounts audited by an accountant as defined in the Explanation below sub-section (2) of section 288 and furnish the audit report in Form No. 10BC alongwith particulars forming part of its Annexure, to the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, having jurisdiction over the electoral trust, on or before the due date specified for furnishing the return of income by a company under section 139.

(13) An electoral trust shall maintain a regular record of proceedings of all meetings and decisions taken therein.

(14) Every electoral trust shall furnish a certified copy of list of contributors and a list of political parties, to whom sums were distributed in the manner prescribed in sub-rule (8), to the Commissioner of Income-tax or the Director of Income-tax, as the case may be, every year along with the audit report as stipulated under sub- rule (12).

(15) Any change in the shareholders, subsequent to the approval granted under the Electoral Trusts Scheme, 2013 shall be intimated to the Board within thirty days of such change."

3. In Appendix II, after Form No. 10 BB, the following Form and its annexure shall be inserted, namely:-

“FORM NO. 10BC

[See rule 17CA]

Audit report under (sub-rule (12) of rule 17CA) of the Income-tax Rules, 1962, in the case of an electoral trust

* I/We have examined the Balance Sheet of _____ [name of the electoral trust] as at _____ and the Income and Expenditure Account for the year ended on that date and certify that the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account are in agreement with the books of account maintained by the said electoral Trust.

* I/We have obtained all the information and explanations which to the best of * my/our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit.

In * my/our opinion, proper books of account have been kept by the head office and the branches of the above named electoral trust visited by * me/us so far as appears from * my/our examination of the books, and proper documents adequate for the purposes of audit have been received from branches not visited by * me/us, subject to the comments given below:

In * my/our opinion and to the best of * my/our information, and according to information given to * me/us, the said accounts give a true and fair view-

(i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the above named electoral trust as at..... and

(ii) in the case of the Income and Expenditure Account, of the surplus or deficit for its accounting year ending on that date.

The prescribed particulars are annexed hereto.

Place _____

Date _____

(Signed)

Accountant †

Name

Membership No.

Address

Notes :

1. *Strike out whichever is not applicable.

2. †This report has to be given by-

(i) a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or

(ii) any person who, in relation to any State, is, by virtue of the provisions of sub-section (2) of section

226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), entitled to be appointed to act as an auditor of the companies registered in that State.

3. Where any of the matters stated in this report is answered in the negative, or with a qualification, the report shall state the reasons for the same.

449 27/13-4

ANNEXURE TO FORM NO. 10BC**I. Details of contributions received and distributed:-**

- 1) Total amount of contributions received in the previous year.
- 2) Total amount of contributions distributed to eligible political parties.
- 3) Amount of contributions utilised for administrative or management functions.
- 4) Surplus brought forward.
- 5) Distributable Contributions for the Financial Year.
- 6) Whether the contributions received in the previous year have been distributed to eligible political parties?

Name of the Political Party with permanent account number	Amount distributed	Date	Mode

- 7) Surplus to be carried forward.
- 8) Whether all contributions have been received by account payee cheque or demand draft? If no; the details thereof.

Name of the person	Permanent account number	Amount of contribution	Date	Mode

- 9) Whether receipts in respect of all distributions made to political parties have been obtained?
- 10) Whether the list of all contributors has been maintained?
- 11) Whether the list of all political parties, to whom the amount distributed, has been maintained?

II. Application or use of income or property for the benefit of persons referred to in sub-rule (10) of rule 17CA:-

1. Details of any transaction in excess of Rs. 20,000 with a person referred to in sub-rule (10) of rule 17CA (hereinafter referred to in this Annexure as "interested person").
2. Whether any payment was made to any interested person during the previous year by way of salary, allowance or otherwise? If so, details thereof.
3. Whether any part of the contributions received by the trust was lent, or continues to be lent, in the previous year to any interested person?

If so, details of the amount, rate of interest charged and the nature of security, if any.
4. Whether any income or property of the electoral trust was diverted during the previous year in favour of any interested person? If so, details thereof together with the amount of income or value of property so diverted.

III. Information pertaining to expenditure incurred by the electoral trust towards administration or management of its affairs:-

1. Whether the administrative or management expenses pertaining to the electoral trust are in accordance with sub-rule (8) of rule 17CA?
2. If yes, whether the required details are adequately maintained?
3. If no, what is the percentage of expenditure incurred by the electoral trust vis-a-vis the total contributions received?

Place:

Signature of the Accountant: _____

Date:

Accountant Membership No. _____"

[Notification No. 08/2013/F. No. 142/20/2012-TPL]

RAMAN CHOPRA, Director (TPL-II)

Note : Principal rules were published *vide* Notification No. S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended by Income-Tax (15th Amendment) Rules, 2012 *vide* Notification No. S.O. 2805(E), dated 29-11-2012.